

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—07/2021 (2021/17) वाद पत्र

अनवान

1. साबुदेवी पत्नि कंवरलाल बंजारा निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. रामा पुत्र लालु बंजारा निवासी धीनवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2. इन्द्रा पुत्री लालु बंजारा निवासी धीनवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3. करमा पुत्र दुर्गा बंजारा निवासी झोड़लिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कजोड़ी बेवा सोजी बंजारा नि.रामसीन तह. भीनमाल जिला जालोर का नाम डिलिट किया
5. इन्द्रा पुत्री सोजी बंजारा निवासी रामसीन तहसील भीनमाल जिला जालोर
6. रेखा पुत्री सोजी बंजारा निवासी रामसीन तहसील भीनमाल जिला जालोर
7. बाबू पुत्र सोजी बंजारा निवासी रामसीन तहसील भीनमाल जिला जालोर
8. शर्मा पुत्र सोजी बंजारा निवासी रामसीन तहसील भीनमाल जिला जालोर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. लोकेश सिंह —

निर्णय

अधिवक्ता वादीया

दिनांक 02.09.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 13.07.2021 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डागड़ी पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 1063 रकबा 0.93 है० भूमि में रास्ते की भूमि को मध्यनजर रखते हुए वादीया का 2/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/21 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 का 1/7 हिस्से का कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड में अलग राजस्व खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 25.08.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया विभाजन प्रस्ताव में कजोड़ी बेवा सोजी होने से एवं उसके वारीस पहले से ही रेकार्ड पर होने से कजोड़ी बेवा सोजी का नाम डिलिट करने का निवेदन किया जिस पर नाम डिलिट किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव



अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम डागड़ी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 1063/1 रकबा 0.62 है0 भूमि साबुदेवी पत्नि कंवरलाल बंजारा सा. कोशीथल तह. सहाड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1063/2 रकबा 0.31 है0 भूमि रामा पुत्र लालु 3/14, इन्द्रा पुत्री लालु 3/14 सा. धीनवा तह. निम्बाहेड़ा जि. चितौड़गढ़, करमा पुत्र दुर्गा 3/21 जाति बंजारा सा. देह, इन्द्रा पुत्री सोजी 4/28, रेखा पुत्री सोजी 4/28, बाबु पुत्र सोजी 4/28 जाति बंजारा सा. रामसीन तह. भीनमाल जिला जालोर खातेदार रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Shiv
29.09.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—07/2021 (2021/17) वाद पत्र

अनवान

1. साबुदेवी पत्नि कंवरलाल बंजारा निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. रामा पुत्र लालु बंजारा निवासी धीनवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2. इन्द्रा पुत्री लालु बंजारा निवासी धीनवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3. करमा पुत्र दुर्गा बंजारा निवासी झोड़लिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कजोड़ी बेवा सोजी बंजारा नि.रामसीन तह. भीनमाल जिला जालोर का नाम डिलिट किया
5. इन्द्रा पुत्री सोजी बंजारा निवासी रामसीन तहसील भीनमाल जिला जालोर
6. रेखा पुत्री सोजी बंजारा निवासी रामसीन तहसील भीनमाल जिला जालोर
7. बाबू पुत्र सोजी बंजारा निवासी रामसीन तहसील भीनमाल जिला जालोर
8. शर्मा पुत्र सोजी बंजारा निवासी रामसीन तहसील भीनमाल जिला जालोर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम डागड़ी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 1063/1 रकबा 0.62 है0 भूमि साबुदेवी पत्नि कंवरलाल बंजारा सा. कोशीथल तह. सहाड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1063/2 रकबा 0.31 है0 भूमि रामा पुत्र लालु 3/14, इन्द्रा पुत्री लालु 3/14 सा. धीनवा तह. निम्बाहेड़ा जि. चित्तौड़गढ़, करमा पुत्र दुर्गा 3/21 जाति बंजारा सा. देह, इन्द्रा पुत्री सोजी 4/28, रेखा पुत्री सोजी 4/28, बाबू पुत्र सोजी 4/28 जाति बंजारा सा. रामसीन तह. भीनमाल जिला जालोर खातेदार रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.09.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




2-9-2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा